संख्या- /2017/ /पॉच-6-2016-38(निर्माण)/14

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, मझवारा, मऊ के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये पुनरीक्षित लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11268/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या-69/2159(3)/पांच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10.10.14 सामु0स्वा0केन्द्र, मझवारा, मऊ के भवन निर्माण कार्य के लिये मानकीकृत लागत के आधार पर रू0-374.14 लाख की प्रशासनिक एवं रू0-100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के आधार पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त निर्माण कार्य की रू0-505.07 लाख की कुल लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित उक्त पुनरीक्षित लागत रू0-505.07 लाख (रूपया पॉच करोड़ पॉच लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-69/2159(3)/पांच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग /कार्यदायी संस्था की होगी।

प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने व कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य का सम्परीक्षित लेखा प्राप्त करते हुए शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-151(1)/दस-17 दिनांक 09 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

/

(अवंधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 60 /2017/ 3161 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मऊ ।
7- निदेशक (सी.एच.सी./पी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ ।
10- निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मऊ ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2017/ /पाँच-6-2016-38(निर्माण)/14

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, सुनवा, फैजाबाद के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये पुनरीक्षित लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11268/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या-87/2015/2803/पांच-6-14-ए.क्यू.-53/12 दिनांक 19.03.15, शासनादेश संख्या-201/2015/2156/पांच-6-15-38(निर्माण)14 दिनांक 21.09.15 व शासनादेश संख्या-82/2016/744/पांच-6-16-38(निर्माण)14 दिनांक 17.03.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19.03.15 द्वारा जनपद फैजाबाद के सुनवा में प्राथ0स्वा0केन्द्र के भवन निर्माण के लिये रू0-98.43 लाख की प्रशासनिक एवं रू0-49.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी तदोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 21.09.15 द्वारा जनपद फैजाबाद के सुनवा में प्राथ0स्वा0केन्द्र के स्थान पर सामु0स्वा0केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया। शासनादेश दिनांक 21.09.15 के क्रम में सामु0स्वा0केन्द्र, सुनवा, फैजाबाद के भवन निर्माण कार्य के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.16 द्वारा मानकीकृत लागत के आधार पर रू0-494.56 लाख की प्रशासनिक एवं रू0-100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य के लिये कुल रू0-149.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। तदोपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के आधार पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त निर्माण कार्य की रू0-600.26 लाख की कुल लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित उक्त पुनरीक्षित लागत रू0-600.26 लाख (रूपया छः करोड़ छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016 231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-87/2015/2803/पांच-6-14-ए.क्यू.-53/12 दिनांक 19.03.2015, शासनादेश संख्या-201/2015/2156/पांच-6-15-38(निर्माण)14 दिनांक 21.09.2015 व शासनादेश संख्या-82/2016/744/पांच-6-16-38(निर्माण)14

दिनांक 17.03.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग /कार्यदायी संस्था की होगी।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने व कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य का सम्परीक्षित लेखा प्राप्त करते हुए शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-151/दस-17 दिनांक 09 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

/

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 61 /2017/ 361 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
7- निदेशक (सी.एच.सी./पी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद ।
10- निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, फैजाबाद ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

वं